रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 485] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 14, 2016/आषाढ़ 23, 1938
No. 485] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 14, 2016/ASADHA 23, 1938

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2016

सा.का.नि. 692(अ).--केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) और खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सुरक्षा बल, मोटर परिवहन कर्मशाला (अराजपत्रित) समूह 'ख' एवं समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2015 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, मोटर परिवहन कर्मशाला (अराजपत्रित) समूह 'ख' एवं समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सीमा सुरक्षा बल, मोटर परिवहन कर्मशाला (अराजपत्रित) समूह 'ख' एवं समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2015 की अनुसूची में –

(क) उप निरीक्षक (तकनीकी) के पद से संबंधित स्तंभ (7) के तहत प्रविष्टियों में क्रम संख्या 2 के क्रम (3) एवं (4) पर दर्ज प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :–

"(3) चिकित्सा मानक :–

(i) दृष्टि –

सहायता रहित दृश्य तीक्ष्णता (निकट दृष्टि)		असंशोधित दृश्य तीक्ष्णता (दूर दृष्टि)		अपवर्तन	टिप्पणी
अच्छी आंख	खराब आंख	अच्छी आंख	खराब आंख		
एन6	एन9	6/6	6/9	किसी भी प्रकार का दृष्टि सुधार यहां तक की चश्मे के द्वारा भी, स्वीकार्य नहीं होगा ।	– दाएं हाथ से कार्य करने वाले व्यक्तियों की दाईं आंख उसी प्रकार बाएं हाथ से कार्य करने वाले व्यक्तियों की बाईं आंख बेहतर होनी चाहिए। – द्विनेत्री दृष्टि की आवश्यकता है ।

3529 GI/2016

(ii) अभ्यर्थियों को संहतजानु, सपाट तलवे, स्फीत शिरा या आंखो मे भेंगापन नहीं होना चाहिए और उनकी दृष्टि, इशहारा के द्वारा सी.पी.–।।। होनी चाहिए । वे मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छे स्वास्थ्य के होने चाहिए और कोई भी ऐसी शारीरिक व्याधि नहीं होनी चाहिए जिससे कि सक्षमतापूर्वक कार्य संपादन मे बाधा पड़ने की संभावना हो ।

(4) अभ्यर्थी को सरकार द्वारा समय–समय पर विहित किए गए शारीरिक क्षमता परीक्षण, लिखित परीक्षा, व्यवसाय परीक्षण एवं व्यवहारिकता में भी अर्हित होना चाहिए";

(ख) कांस्टेबल (तकनीकी) के पद से संबंधित स्तंभ (7) के तहत प्रविष्टियों में क्रम संख्या 4 के क्रम (5) एवं (6) पर दर्ज प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :–

"(5) चिकित्सा मानक :–

(i) दृष्टि

सहायता रहित दृश्य तीक्ष्णता (निकट दृष्टि)		असंशोधित दृश्य तीक्ष्णता (दूर दृष्टि)		अपवर्तन	टिप्पणी
अच्छी आंख	खराब आंख	अच्छी आंख	खराब आंख		
एन6	एन9	6/6	6/9	किसी भी प्रकार का दृष्टि सुधार यहां तक की चश्में के द्वारा भी, स्वीकार्य नहीं होगा ।	– दाएं हाथ से कार्य करने वाले व्यक्तियों की दांई आंख उसी प्रकार बाएं हाथ से कार्य करने वाले व्यक्तियों की बांई आंख बेहतर होनी चाहिए। – द्विनेत्री दृष्टि की आवश्यकता है।

(ii) अभ्यर्थियों को संहतजानु, सपाट तलवे, स्फीत शिरा या आंखो में भेंगापन नही होना चाहिए और उनकी दृष्टि, इशहारा के द्वारा सी.पी.–।।। होनी चाहिए । वे मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छे स्वास्थ्य के होने चाहिए और कोई भी ऐसी शारीरिक व्याधि नहीं होनी चाहिए जिससे कि सक्षमतापूर्वक कार्य संपादन में बाधा पडने की संभावना हो।

(6) अभ्यर्थी को सरकार द्वारा समय–समय पर विहित किए गए शारीरिक क्षमता परीक्षण, लिखित परीक्षा, व्यवसाय परीक्षण एवं व्यवहारिकता में भी अर्हित होना चाहिए";

[फा. सं. 17/101/2015–कार्मिक/सीसुबल]

दिनेश माहुर, निदेशक (कार्मिक)

टिप्पण :–मूल नियम, सा.का.नि. 169 (अ), दिनांक 03 मार्च, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2016

G.S.R. 692(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub- section (2) of section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Border Security Force , Motor Transport Workshop (Non-Gazetted) Group 'B' and Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2015, namely: -

1. (1) These rules may be called the Border Security Force, Motor Transport Workshop (Non-Gazetted) Group 'B' and Group 'C' Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Border Security Force, Motor Transport Workshop (Non-Gazetted) Group 'B' and Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2016,—

(a) against serial number 2, relating to the post of Sub Inspector (Technical)in the entries under column (7), for the entries at serial (3) and (4), the following entries shall be substituted, namely:-

(3) " Medical Standards:-

(i) Eye Sight :-

Visual Acuity unaided (NEAR VISION)		Uncorrected Visual Acuity (Distant Vision)		Refraction	Remarks
Better eye	Worse eye	Better eye	Worse eye		
N6	N9	6/6	6/9	Visual correction of any kind is not permitted even by the glasses.	In right handed person, the Right eye is better eye and vice versa. Binocular vision is required.

(ii) The candidates must not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in eyes and they should possess CP III BY ISIHARA vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.

(4) The candidate should qualify the physical efficiency test, written test, trade test and practical as specified by the Government from time to time" ;

(b) against serial number 4, relating to the post of Constable(Technical) in the entries under column (7), for the entries at serial (5) and (6), the following entries shall be substituted, namely :-

(5) " Medical Standards :-

(i) Eye Sight

Visual Acuity unaided (NEAR VISION)		Uncorrected Visual Acuity (Distant Vision)		Refraction	Remarks
Better eye	Worse eye	Better eye	Worse eye		
N6	N9	6/6	6/9	Visual correction of any kind is not permitted even by the glasses	In right handed person, the Right eye is better eye and vice versa. Binocular vision is required

(ii) The candidates must not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in eyes and they should possess CP III BY ISIHARA vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.

(6) The candidate should qualify the physical efficiency test, written test, trade test and practical as specified by the Government from time to time".

[F. No. 17/101/2015-Pers/BSF]

DINESH MAHUR, Director (Pers)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II Section 3, Sub-section (i), vide G.S.R.169(E), dated the 3rd March, 2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.